UPME010091582026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट मेरठ।

उपस्थितः– अमित वीर सिंह (H.J.S.)

जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

फौजदारी विविध वाद सं० 728 सन् 2026

मनीष गौतम पुत्र आर०पी० सिंह गौतम, निवासी– 71/1, अनुयोगीपुरम, भोपाल विहार, थाना भावनपुर, जिला मेरठ। जाति–अनुसूचित जाति

... ... .प्रार्थी/वादी

बनाम

1. अभिषेक प्रताप सिंह एस०आई० जाति– नामालूम पता – चौकी इन्चार्ज, थाना भावनपुर, जिला मेरठ।
2. राज तोमर पुत्र सोमपाल निवासी– ग्राम बढ़ला, थाना भावनपुर, जिला मेरठ जाति – ठाकुर
3. पवन तोमर पुत्र ओमवीर सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर चट्टावन, थाना भावनपुर, जिला मेरठ जाति– ठाकुर
4. हरिओम तोमर पुत्र सुभाष तोमर निवासी – ग्राम बढ़ला, थाना भावनपुर, जिला मेरठ जाति – ठाकुर
5. 15–20 अज्ञात व्यक्ति।

... ... .विपक्षीगण

दिनांकः– 14.08.2026

1. पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी/वादी मनीष गौतम के विद्वान अधिवक्ता के तर्क पूर्व में सुने जा चुके हैं।

2. प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 173(4) बी०एन०एस०एस० इस आशय से प्रस्तुत किया कि – प्रार्थी के भाई का एक मकान नं0–71/1, अनुयोगीपुरम, भोपाल विहार, थाना भावनपुर, जिला मेरठ में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का भाई अपना ढाबा भी चलाता है। इस मकान का प्रार्थी का भाई पूर्ण रूप से मालिक काबिज है, वह लगभग 12 वर्षो से निवास करता चला आ रहा है। दिनांक 08–06–2026 को समय करीब 1:30 बजे दोपहर में चौकी इन्चार्ज काली नदी थाना भावनपुर, मेरठ के दरोगा अभिषेक प्रताप सिंह अपने साथ फर्जी बैनामें के आधार पर राज तोमर व पवन तोमर व 15–20 अज्ञात व्यक्तियों को लिए प्रार्थी के दुकान व मकान पर जबरन कब्जा कराने के लिए आ गये तो प्रार्थी के भाई ने एक आदेश दिनांक 03–04–2026 न्यायालय सिविल जज सी०डि० मेरठ वाद सं०– 454/2024 जो प्रार्थी के पक्ष में मालिक काबिज विक्रयधारी माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन मेरठ ने पारित किया है, जो प्रार्थी के भाई ने दरोगा अभिषेक प्रताप सिंह को दिखाया तो दरोगा जी ने कहा कि ऐसे अर्जी–फर्जी आदेश तो मैं रोज देखता हूँ इसे बत्ती बनाकर रख लो। तो प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के परिवार वाले वहाँ मौजूद थे, तो दरोगा अभिषेक प्रताप सिंह व उक्त सभी व्यक्तियों ने एकराय मशवरा होकर प्रार्थी को कहा कि साले चमार चमट्टो तुम्हारे मकान पर ऐसी ही कब्जा करा दूंगा। जैसे जाति सूचक शब्दा का प्रयोग

किया जिसकी वीडियो प्रार्थी के पास मौजूद हैं या तो यहाँ से निकल जाओ, मकान खाली कर दो नही तो तुम्हारे खिलाफ झूठी एफ०आई०आर० पंजीकृत कराकर जेल भेज दूंगा। प्रार्थी मेरठ बार एसोसिएशन का सम्मनित सदस्य हैं। प्रार्थी के वकील साथी ने जब दरोगा से इस बात का विरोध किया तो अभिषेक प्रताप सिंह ने प्रार्थी व प्रार्थी के बडे भाई हिमांशु गौतम को जबरन उठाकर थाने ले गये तथा गाडी में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के साथ मारपीट की और थाने ले जाकर बन्द कर दिया जब मेरठ बार के अध्यक्ष द्वारा फोन किया गया तो एस०ओ० ने प्रार्थी व प्रार्थी के भाई को शाम दिनांक 08–06–2026 को करीब 7:00 बजे छोड दिया। तभी से दरोगा अभिषेक प्रताप सिंह ने प्रार्थी के मकान व दुकान पर तीन चार अज्ञात व्यक्ति बैठा रखे है। जो राज तोमर के साथी है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को दरोगा अभिषेक प्रताप, राज तोमर, पवन कुमार तोमर, हरिओम तोमर से जान का खतरा बना हुआ हैं। जो प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना घटित कर सकते हैं। इसीलिए उपरोक्त व्यक्तियों व अभिषेक प्रताप सिंह दरोगा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें। प्रार्थी ने उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 09–06–2026 को श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद मेरठ व अन्य उच्चाधिकारियों श्रीमान् ए०डी०जी० महोदय, मेरठ जोन मेरठ, श्रीमान् डी०जी०पी० महोदय, उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ, श्रीमान् आई०जी० महोदय, मेरठ जोन मेरठ व माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को प्रेषित किया था परन्तु प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आई०जी० महोदय, मेरठ जोन मेरठ को दिनांक 09–06–2026 को दिया था उसके उपरान्त प्रार्थी को दिनांक 10–06–2026 को श्रीमान् सी०ओ० गंगानगर, मेरठ के ऑफिस में बुलाया गया तथा प्रार्थी के ब्यान लिये गये उपरान्त भी प्रार्थी दो–तीन बार सी०ओ० साहब के यहां पर गया परन्तु प्रार्थी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उपरोक्त घटना की वीडियो व फोटो प्रार्थी प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल कर रहा हैं। उपरोक्त तथ्यों व घटना कम के अनुसार अभियुक्त के विरूद्ध केस दर्ज कर सुनवाई करनी अति आवश्यक है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि थानाध्यक्ष थाना भावनपुर, मेरठ को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3. प्रार्थना पत्र के साथ सूची कागजात के माध्यम से एक किता एस.एस.पी. मेरठ को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.06.22 क प्रतिलिपि, एक किता एस.एस.पी. मेरठ के यहाँ से मिली जांच पर्ची की असल प्रति, एक किता जनसुनवाई पोर्टल पर की गयी शिकायत की पर्ची की प्रति, एक किता दिनांक 09.06.2026 को मुख्यमंत्री को भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रति, एक किता ए.डी.जी. महोदय को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, एक किता डी.जी.पी. महोदय को भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रति, एक किता दिनांक 09.06.2026 को भेजे गये आई.जी. महोदय मेरठ के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, एक किता उक्त घटना की विडियो रिकॉर्डिंग की सी.डी. की असल प्रति, एक किता प्रार्थी के भाई के द्वारा भेजे गये प्रार्थना पत्र अपर पुलिस महानिदेशक महोदय की प्रतिलिपि, एक किता प्रार्थी के भाई द्वारा डी.आई.जी. महोदय को भजे गये प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2026 की प्रतिलिपि, एक किता प्रार्थी के भाई द्वारा जनसुनवाई पोर्टल पर की गयी शिकायत दिनांक 11.06.2026 की प्रतिलिपि, एक किता प्रार्थी के भाई द्वारा भेजे गये मख्यमंत्री के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, एक किता प्रार्थी के भाई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मानवधिकार आयोग दिल्ली को भेजे गये प्रार्थना पत्र की प्रति, एक किता प्रार्थी के भाई द्वारा आई.जी. महोदय के प्रार्थना पत्र को प्रतिलिपि, एक किता एस.एस.पी मेरठ को प्रार्थी के भाई द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि, एक किता प्रार्थी के भाई द्वारा भेजे गये भारतीय डाक रसीद की प्रतिलिपि, एक किता वादी के आधार कार्ड की प्रतिलपि, एक किता माननीय न्यायालय सिविल जज सी.डी. के यहाँ से डिक्री के आदेश की प्रति लिपि, एक किता ग्रह कर के बिल की फोटो प्रतिलिपि, एक किता एस.आई. अभिषेक प्रताप के मौके पर खीचे गये फोटो की असल प्रतिलिपि, एक किता बिजली बिल की फोटो प्रतिलिपि, एक किता दो नगर निगम की रसीद की प्रति, एक किता प्रार्थी के मकान का फोटोप्रति दाखिल की गयी। प्रार्थी /वादी द्वारा फेहरिस्त/सबूत कागज सं० 8 ख से 3 सबूत जिसमें मु०अ०सं० 216/2026 की एफ.आई.आर की

प्रतिलिपि, असल पैनड्राईव मय वीडियो, प्रार्थना पत्र समक्ष एस.एस.पी. मेरठ, सूची कागज सं० 11 ख से 7 प्रपत्र जिसमें असल शपथ पत्र सोनी, सुमित, पूनम, सनिता, भूमित व वीरपाल व जी.डी. की नकल मय जांच आख्या दाखिल की गयी है। इसके अतिरिक्त सूची कागज सं० 12 ख से दो सबूत जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि तथा सी.सी.टी.वी. फुटैज दाखिल की गयी हैं।

4. थाने की आख्या के अनुसार मामले में कोई अभियोग पंजीकृत न होना दर्शाया गया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

6. धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार न्यायालय धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० के प्रार्थना पत्र पर जांच एवं पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर प्रसंज्ञान ले सकती है।

7. प्रकरण के क्षेत्राधिकारी सदर देहात जनपद मेरठ ने जाँच कर अपनी आख्या न्यायालय में दाखिल की गयी है जो इस प्रकार है कि–

" उक्त संपत्ति को लेकर पूर्व से भी दीवानी एवं आपराधिक वाद लंबित रहे हैं तथा पक्षकारों के मध्य स्वामित्व एवं कब्जे का विवाद वर्षों से चला आ रहा है। प्रकरण में आरोप लगाया गया कि दिनांक 08.06.2026 को उपनिरीक्षक अभिषेक प्रताप सिंह विपक्षीगण के साथ मिलकर जबरन कब्जा दिलाने, जातिसूचक शब्द कहने, मारपीट करने एवं झूठे मुकदमे में फँसाने की धमकी देने हेतु मौके पर पहुंचे थे। किन्तु जांच के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों से उक्त आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पुष्टि नहीं हो सकी। उपनिरीक्षक अभिषेक प्रताप सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया कि डायल–112 से प्राप्त सूचना पर पीआरवी पुलिस बल सहित मौके पर पहुँचकर दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति एवं संभावित शांति भंग को रोकने के उद्देश्य से दोनों पक्षों को थाना लाया गया तथा विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 126/135 बीएनएसएस की निरोधात्मक कार्यवाही की गई। उपलब्ध अभिलेखों से उक्त कार्यवाही का समर्थन भी प्राप्त होता है। जांच के दौरान ऐसा कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी, निष्पक्ष साक्षी अथवा अन्य ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उपनिरीक्षक अभिषेक प्रताप सिंह ने किसी पक्ष विशेष का पक्ष लेते हुए अवैधानिक रूप से कब्जा दिलाने का प्रयास किया हो, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया हो. मारपीट की हो अथवा अपने पद का दुरुपयोग किया हो। आवेदक द्वारा ऐसे आरोप लगाए गए हैं, किन्तु उनके समर्थन में ऐसा कोई विश्वसनीय एवं स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे आरोपों की पुष्टि की जा सके। इसके अतिरिक्त विपक्षीगण तथा श्रीमती विमला देवी के कथनों से यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि संपत्ति के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर दोनो पक्षों के मध्य पूर्व से विवाद चला आ रहा है तथा श्रीमती विमला देवी द्वारा पूर्व में वर्ष 2020 में भी हिमांशु गौतम एवं अन्य के विरुद्ध थाना भावनपुर पर अभियोग पंजीकृत कराया जा चुका है, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। इससे स्पष्ट होता है कि विवाद नवीन न होकर दीर्घकालीन संपत्ति विवाद है। समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण से पाया गया कि दोनों पक्ष अपने –अपने स्वामित्व के समर्थन में पृथक–पृथक दस्तावेजों एवं दावों पर आधारित है, जिनकी विधिक वैधता एवं अंतिम अधिकारिता का निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जाना अपेक्षित है। पुलिस जांच के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जिससे यह सिद्ध हो सके कि विपक्षीगण द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कोई आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए अवैध कब्जा कराया गया हो अथवा उपनिरीक्षक अभिषेक प्रताप सिंह की किसी प्रकार की आपराधिक संलिप्तता रही हो। सम्पूर्ण जांच के मध्य उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत विवाद मूलतः स्वामित्व एवं कब्जे से संबंधित दीवानी प्रकृति (Civil Nature) का है, जिसका अंतिम निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना अपेक्षित है। जांच के दौरान किसी लोक सेवक अथवा विपक्षीगण के विरुद्ध ऐसा कोई विश्वसनीय, स्वतंत्र एवं पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त

नहीं हुआ जिससे उनके विरुद्ध किसी संज्ञेय आपराधिक कृत्य का प्रथमदृष्ट्या अपराध सिद्ध होता हो। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं। "

8. थाने की आख्या के अनुसार उक्त मामले में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। पत्रावली के अवलोकनोपरान्त विदित है कि प्रार्थना पत्र में आवेदक द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/वादी को घटना के तथ्यों, परिस्थितियों एंव साक्ष्यों की पूर्ण जानकारी है। प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कथन वर्णित नहीं किया गया है कि जिससे कि कोई ऐसा साक्ष्य संकलित किया जाना हो , जो कि विवेचना कराये जाने के उपरान्त ही संकलित किया जा सकता हो। प्रार्थना पत्र में कोई तकनीकी तथ्य निहित नहीं है। आवेदक अपना समस्त साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007 (6) ए.एल.जे. पेज 424 (डी०बी०)** के मामले में अवधारित किया गया है कि धारा –173 (4) बी.एन.एस.एस. के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है और मजिस्ट्रेट प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए बाध्य नहीं है। मामले में विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/वादी मनीष गौतम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 07.09.2026 को पेश हो।

दिनाकः– 14.08.2026

(अमित वीर सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.08.14 17:24:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court